न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
25/25	212 RTA	सुन्दलक	बारां

प्रार्थी	वाद शीर्षक	अप्रार्थीगण
ओमप्रकाश	बनाम	देवकरण

वकील :–	श्री ओमप्रकाश खण्डेलवाल एड0	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22.05.2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.07.2025 को पेश हो।	
21-7-25	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्ववत दिनांक 24-9-25 को प्रस्तुत हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
24-9-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं.-1 की ओर से श्री राजेश नागर एड. के मध्य वाद के Under talking थी। पत्रावली बाद जवाब दिनांक 25-11-25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	
25/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी द्वारा वकालतनामा नहीं लिया। समय चाहते हैं पत्रावली बाद पेश करके वकालतनामा दिनांक 16/01/26 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	
21/12/25	पत्रावली बाबत प्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश अधिवक्ता एवं प्रार्थी वकालतनामा के साथ प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र कुर्की की प्रार्थना पत्र पेश किये जाने बाबत पेश करके पत्र लिखे जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपस्थित प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र विचार किया जाकर स्वीकार किया गया। चूंकि प्रार्थी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकार्ड शुमार होकर नियमानुसार कार्यवाही के बाद दाखिल रिकार्ड के प्रविष्ट हो। उप खण्ड अधिकारी बाराँ	